<u>न्यायालयः</u>— प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण कमांक:-1427/2013 संस्थित दिनांक:-18/11/2013 फाईलिंग नम्बर 230303010692013

> शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, गोहद चौराहा जिला—भिण्ड म०प्र०

> > अभियोजन

बनाम्

- 1. भारत पुत्र रामबाबू कुशवाह उम्र–24 साल
- हरिओम पुत्र रामजीलाल कुशवाह उम्र—29साल समस्त व्यवसाय मजदूरी निवासीगण ग्राम — डोंडरी पुलिस थाना मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0

आरोपीगण

(आरोप अंतर्गत धारा— 25 (1)(1—बी) ए आयुद्ध अधिनियम) (राज्य द्वारा एडीपीओ —श्री प्रवीण सिकरवार) (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता— श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव)

P. W.

// निर्णय

//आज दिनांक 12/01/2017 को घोषित किया//

आरोपी भारत सिंह पर दिनांक 17/03/13 को 17:30 बजे ग्वालियर भिण्डहाईवे ग्राम सौंधा मोड के पास वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक 315 वोर का कटटा एवं एक जिंदा राउण्ड अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25 (1)(1–बी) ए तथा आरोपी हरीओम पर घटना

दिनांक समय व स्थान पर वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक 315 वोर का जिंदा कारतूस अपने आधिपत्य में रखने हेत् आय्ध अधिनियम की धारा 25 (1)(1—बी) ए के अंतर्गत आरोप हैं।

- 2. संक्षेप मे अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17/03/17 को पुलिस थाना गोहद चौराहा के ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर मय फोर्स प्र0आरक्षक ब्रजराज सिंह,आरक्षक मनोज,आरक्षक उग्रसेन,आरक्षक जितेन्द्र,आरक्षक सतेन्द्र सिंह के साथ प्राईवेट अधिकृत वाहन कमांक एम.पी.30 बी.सी.0351 से ग्राम बिरखडी की तरफ हाईवे रोड पर रवाना हुआ था दौराने भ्रमण उसे जिरये मुखबिर सूचना मिली थी कि भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर ग्राम सौंधा के पास दो व्यक्ति अवैध हथियार लिये सवारी का इंतजार कर रहे थे सूचना पर तस्दीक हेतु वह रवाना होकर ग्राम सौंधा मोड के पास हाईवे पर पहुंचा था तो वहां पुलिस को देखकर दो व्यक्ति भागने लगे थे जिन्हें फोर्स की मदद से घेरकर पकडा था नाम पता पूंछने पर उन्होंने अपना नाम भारत एवं हरीओम बताया था। भारत की तलाशी लेने पर उसकी पेंट की बायी तरफ कमर से एक 315 वोर का कटटा निकला था एवं हरीओम की तलाशी लेने पर उसके पेंट की दाहिनी जेब से एक 315 वोर का जिंदा राउण्ड तथा एक खोखा 315 वोर का मिला था दोनो आरोपीगण के पास कटटा कारतूस रखने बाबत लाईसेंस नहीं था। आरोपीगण से मौके पर ही कटटा कारतूस जप्त कर जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही की गई थी तत्पश्चात थाना वापिस आकर आरोपीगण के विरुद्ध अप०क063/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- 3. उक्तानुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपीगण को आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया ।
- 4. दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूंठा फंसाया गया हैं।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है:—
 1.क्या आरोपी भारत सिंह ने दिनांक 17/03/13 को 17:30 बजे ग्वालियर भिण्ड

हाईवे ग्राम सौंधा मोड के पास एक संचालनीय स्थिति वाला आयुध 315 वोर का कटटा एवं एक जिंदा राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा?

- 2. क्या आरोपी हरीओम ने घटना दिनांक समय व स्थान पर 315 वोर का एक राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध मे अभियोजन की ओर से प्र0आर0 राजिकशोरिसंह आ0सा01,आरक्षक जितेन्द्र सिंह गुर्जर आ0सा02,आर्म्स क्लर्क दिनेश कुमार ओझा आ0सा03,ए0एस0ाई अशोक सिंह तोमर आ0सा04,प्र0आर0 ब्रजराज सिंह आ0सा05 आरक्षक उग्रसेन आ0सा06 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपीगण की ओर से बचाव मे किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

[निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण] विचारणीय प्रश्न क0-1 एवं 2

- 7. साक्ष्य की पृनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्तदोनो विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा हैं।
- 8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में जप्तीकर्ताअशोक सिंह तोमर आ०सा०4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया हैिक वह दिनांक 17/03/13 को प्र0आर0 ब्रजराज सिंह,आरक्षक उदय,आरक्षक उग्रसैन,एवं आरक्षक सतेन्द्र के साथ अधिकग्रहित जीप से इलाका गश्त के लिये रवाना हुआ था दौराने गश्त उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति ग्राम सौंधा के मोड पर हाईवे रोड के बगल से कहीं जाने का इंतजार अवैध हथियार लेकर रह रहे है। सूचना की तस्दीक हेतु वह सौंधा मोड पर पहुंचा था तो वहां खड़े दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे थे जिन्हें हमराही फोर्स की मदद से पकड़ा था नाम पता पूंछने पर उनमें से एक ने अपना नाम भारत एवं दूसरे ने हरीओम बताया था। तलाशी लेने पर भारत के पेंट की बायी तरफ से कमर में एक 315 वोर का कटटा निकला था कटटा खोलकर देखा था तो उसमें एक जिंदा राउण्ड 315 वोर का मिला था । हरीओम की तलाशी लेने पर उसके पेंट की दाहिनी जेब से एक 315 वोर का जिंदा राउण्ड एवं एक 315 वोर का खोखा मिला था आरोपीगण के पास कटटा कारतूस रखने बाबत

लाईसेंस नहीं था। उसने मौके पर ही साक्षी उग्रसेन एवं जितेन्द्र के समक्ष आरोपी भारत से 315 वोर का कटटा एवं एक जिंदा राउण्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी02 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी हरीओम से 315 वोर का एक जिंदा राउण्ड एवं एक खोखा जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी03 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं आर्टिकल ए—1 का कटटा एवं ए—2 ए—3 एवं ए—4 के कारतूस वहीं कटटा कारतूस है जो उसने मौके पर आरोपीगण से जप्त किये थे उसने आरोपी भारत को गिरफतार करिगरफतारी पंचनामा प्र0पी04 एवं आरोपी हरीओम को गिरफतार करिगरफतारी पंचनामा प्र0पी05 बनाया था जिनके कमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है उसने थाना वापिस आकर आरोपीगण के विरुद्ध प्र0पी09 की प्रथम सूचना रिर्पोट लेखबद्ध की थी जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। रोजनामचा वापसी प्र0पी08 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क04 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी की तलाशी लेने के पहले अपनी तलाशी नही दी थी एवं यह भी व्यक्त कियाहैकि उसने मौके पर आयुध को शीलबंद किया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि उसने प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिर्पोट मे जप्तशुदा कटटे के आकार प्रकार का वर्णन नहीं किया है।

- 9. साक्षी आरक्षक जितेन्द्र सिंह गुर्जर आ०सा०२ एवं उग्रसेन आ०सा०६ ने भी जप्तीकर्ता ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर के कथन का समर्थन किया हैं एंव घटना दिनांक को ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर के साथ घटना स्थल पर जाने एवं आरोपी भारत से 315 वोर का कटटा तथा एक कारतूस एवं आरोपी हरीओम से 315 वोर का एक जिंदा राउण्ड एवं एक खाली राउण्ड जप्त करने बाबत प्रकटीकरण किया है। आरक्षक जितेन्द्र सिंह गुर्जर आ०सा०२ ने जप्ती पंचनामा प्र०पी०२ एवं प्र०पी०३ तथा गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०४ एवं 5 के क्रमशः एसेए भाग पर तथा आरक्षक उग्रसेन आ०सा०६ ने जप्ती पंचनामा प्र०पी०२ एवं 3 तथा गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०४ एवं 5 के क्रमशः सी सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।
- 10. प्र0आर० राजिकशोरिसंह आ०सा०१ ने जप्त शुदा आयुध की जांच रिर्पोट प्र0पी०१ का प्रमाणित किया है। आर्म्स क्लर्क दिनेश कुमार ओझा आ०सा०३ ने प्र0पी०७ के अभियोजन स्वीकृति

आदेश को प्रमाणित किया है एवं प्र0आर0 ब्रजराज सिंह आ0सा05 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गयाहैकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता हैं।

- 12. सर्व प्रथम न्यायालय को यह विचार करनाहैकि क्या आरोपीगण के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार ली गई है। उक्त संबंध में साक्षी दिनेश कुमार ओझा आठसाठ3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया हैकि दिनाक 26/04/13 को थाना गोहद चौराहा के आरक्षक ब्रजेन्द्र सिंह द्वारा थाने के अप०क०63/13 की कैस डायरी जप्तशुदा आयुध सिहत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला दंडाधिकारी कार्यालय भिण्ड में प्रस्तुत की गई थी एवं तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखलेश श्रीवास्तव द्वारा कैस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी भारत एवं हरीओम के विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र०पीठनहैं जिसके एसेए भाग पर तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखलेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर है। उसने श्री अखलेश श्रीवास्तव के अधीनस्थ कार्य किया है इसलिये वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।
- 13. इस प्रकार साक्षी दिनेश कुमार ओझा आ०सा०3 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया हैकि पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा आयुध कैस डायरी सिहत तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखलेश श्रीवास्तव के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे एवं श्री अखलेश श्रीवास्तव ने जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी भारत सिंह एवं हरीओम के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी । उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थित में उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह

प्रमाणित हैकि आरोपी भारत एवं हरीओम के विरूद्ध आुयध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार प्राप्त की गई थी।

- 14. अब न्यायालय को यह विचार करना हैकि क्या जप्तशुदा 315 वोर का कटटा एवं दो राउण्ड संचालनीय स्थिति में थे। उक्त संबंध में प्र0आरक्षक राजिकशोरसिंह आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया हैकि उसने दिनांक 09/04/13 को पुलिस लाईन भिण्ड में थाना गोहद चौराहा केअप0क063/13 मे जप्तशुदा 315 वोर का कटटा एवं दो जिंदा राउण्ड की जांच की थी। जांच के दौरान उसने कटटे का एक्शन चैक किया था कटटा चालू हालत में था उससे फायर किया जा सकता था दोनो राउण्ड से भी फायर किया जा सकता था। उसकी जांच रिर्पोट प्र0पी01है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि उसने कटटे से फायर करके नहीं देखा था।
- 15. इस प्रकार प्र0आरक्षक राजिकशोर सिंह आ0सा01 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि जप्तशुदा 315 वोरका कटटा एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे यघिप उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने कटटे से फायर करके नहीं देखाथा परन्तु उक्त साक्षी का यह भी कहनाहै कि उसने कटटे का एक्शन चैक किया था तथा कटटे का एक्शन सही पाया गया था। प्र0आरक्षक राजिकशोरिसंह आ0सा01 के कथनों से यह दर्शित है कि उसने जांच के दौरान जप्तशुदा कटटे के कलपुर्जे एवं उसका एक्शन चैक किया था तथा उसने पाया था कि कटटे के सभी कलपुर्जे सही कार्य कर रहे थे उसी आधार पर उसके द्वारा उक्त कटटा संचालनीय स्थिति में होना बताया गया है। जप्तशुदा दो कारतूस भी उसने संचालनीय स्थिति में होना बताया गया है। जप्तशुदा दो कारतूस भी उसने संचालनीय स्थिति में होना बताया गया है। जप्तशुदा दो कारतूस भी उसने संचालनीय स्थिति में होना बताया गया है। उपलशुदा दो कारतूस भी उसने संचालनीय स्थिति में होना बताया है। क्या पर अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि जप्तशुदा कटटे का एक्शन सही नहीं था एवं जप्तशुदा कटटा एवं कारतूस से फायर नहीं किया जा सकता था। प्र0आरक्षक राजिकशोर सिंह आ0सा01 के कथनो से यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा कटटा एवं दो कारतूस की जांच की गई थी तथा जांच के दौरान उसने कटटा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में पाये थे। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डनमें कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त विन्दु पर आई साक्ष्य से यह

प्रमाणित है कि जप्तशुदा 315 वोर की कटटा एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे।

- 16. अब न्यायालय कोयह विचार करना हैकि क्या आरोपी भारत सिंह ने 315वोर का कटटा एवं एक कारतूस तथा आरोपी हरीओम ने एक कारतूस वैध अनुज्ञाप्त के बिना अपने आधिपत्य में रखें थे? उक्त संबंध में जप्तीकर्ता ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर आठसा०४ ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक 17/03/13 को वह प्र0आर0 ब्रजराज सिंह,आरक्षक उदय,आरक्षक उग्रसेन, एवं आरक्षक सतेन्द्र के साथ इलाका गश्त के लिये गया था एवं दौराने गश्त उसे मुखबिर द्वारा आरोपीगण के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी एवं सूचना की तस्दीक हेतु वह ध वना—स्थल सौधा मोड पर गया था जहां उसने साक्षी उग्रसेन एवं जितेन्द्र के समक्ष आरोपी भारत से 315 वोर का कटटा एवं एक जिंदा राउण्ड तथा आरोपी हरीओम से 315 वोर का एक जिंदा राउण्ड एवं एक खाली खोखा जप्त किया था । उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए—1 का कटटा तथा आर्टिकल ए—2 ,ए—3 एवं ए—4 के कारतूस वही कटटा कारतूस है जो उसने आरोपीगण से जप्त किये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि उसने आरोपीगण की तलाशी लेने के पहले अपनी तलाशी नहीं दी थी परन्तु यह मात्र प्रक्रियात्मक ब्रुटि है एवं उक्त ब्रुटि से संपूर्ण अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती हैं।
- 17. ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर आ०सा०४ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया हैकि उसने जप्तशुदा कटटे का मानचित्र नहीं बनाया था तथा प्र०पी०९ की प्रथम सूचना रिर्पोट में उसने जप्तशुदा कटटे के आकार प्रकार का वर्णन नहीं किया है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिर्पोट एनसाइक्लोपीडिया नहीं है प्रथम सूचना रिर्पोट में सभी तथ्यों का वर्णन करना आवश्यक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर आ०सा०४ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया हैकि आर्टिकल ए—1 का कटटा एवं ए—2,ए—3 तथा ए—4 के कारतूस वही कटटा कारतूस है जो उसने मौके पर आरोपीगण से जप्त किये थे। बचाव पक्ष द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि जप्तशुदा आयुध का मानचित्र नहीं बनाया गया है एवं जप्तशुदा आयुध के

आकार प्रकार का वर्णन प्रथम सूचना रिर्पोट में नहीं किया गया है अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

- 18. जप्ती के साक्षी जितेन्द्र सिंह गुर्जर आ०सा०२ एवं उग्रसेन आ०सा०६ द्वारा भी जप्तीकर्ता ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर आ०सा०४ के कथन का समर्थन किया गया है एवं घटना दिनांक को ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर के साथ घटना—स्थल पर जाने तथा आरोपीगण से कटटा कारतूस जप्त करने बाबत प्रकटीकरण किया गया हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोडकर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा हैं।
- 19. ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर आ०सा०४ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया हैकि घटना स्थल सुनसान जगह था जबिक साक्षी जितेन्द सिंह गुर्जर आ०सा०२ एवं उग्रसेन आ०सा०६ द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया गया हैकि घटना स्थल आम रास्ता था जहां आवागमन हो रहा था । इस प्रकार उक्त बिन्दु पर जप्तीकर्ता अशोक सिंह तोमर आ०सा०४ के कथन साक्षी जितेन्द्रसिंह गुर्जर आ०सा०२ एवं उग्रसेन आ०सा०६ के कथन से किंचित विरोधाभाषी रहे है परन्तु उक्त तथ्य इतना तात्विक नहीं है जिसके कारण संपूर्ण अभियोजन घटना को संदेहास्पद माना जावें।
- 20. यहां यह उल्लेखनीय है कि विवेचना के दौरान दिनांक 18/03/13 को प्र0आर0 ब्रजराज सिंह आ0सा05 द्वारा आरोपी भारत से पूंछताछ कर धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमोरेंडम प्र0पी06 तैयार किया गया है परन्तु चूंकि उक्त मेमोरेंडम के आधार पर कोई जप्ती नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में उक्त मेमोरेंडम का कोई औचित्य नहीं है परन्तु उक्त आधार पर संपूर्ण अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 21. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा रोजनामचा सान्हा विधिवत प्रमाणित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं। यघिप यह सत्य हैिक प्रकरण में अभियोजन द्वारा रोजनामचा सान्हा को विधिवत प्रमाणित नहीं कराया गया है

परन्तु बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह प्रश्नगत नहीं किया गया है कि जप्तीकर्ता ए 0एस0आई अशोक िसंह तोमर आ0सा04 सुसंगत समय पर घटना—स्थल पर नहीं गये थे उक्त तथ्य को बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा चुनौतित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में मात्र उक्त त्रुटि के कारण संपूर्ण अभियोजन घटना को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता हैं।

- 22. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गयाहैकि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया गया है। आरोपीगण के विरूद्ध मात्र पुलिस कर्मचारियों द्वारा साक्ष्य दी गई है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता हैं परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं हैं। पुलिस अधिकारियों के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से सम्पुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है। यदि पुलिस कर्मचारियों के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहते है तो मात्र इस आधार पर उनके कथनों का अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता हैकि उनके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय हैकि सामान तौर पर जनता स्वयं को आपराधिक मामले से दूर रखती है इसलिये मात्र जनता के किसी साक्षी को गवाह न बनाने से अभियोजन घटना संदेहास्पद नहीं हो जाती है।
- 23. प्रस्तुत प्रकरण में ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर आ०सा०4 एवं जप्ती के साक्षी जितेन्द्र सिंह गुर्जर आ०सा०2 एवं उग्रसेन आ०सा०6 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं। आरोपीगण की ओर से उक्त साक्षियों के कथनों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थित में मात्र पुलिस कर्मचारी होने के कारण उक्त साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत परमजीत वि० स्टेट दिल्ली प्रशासन (२००३) –5 एस०सी०सी० २९७७ भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य कोभी अन्य साक्षीगण की साक्ष्य की तरह लेना चाहिये। विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता हैं। न्यायदृष्टांत बाबूलाल वि० म०प्र०राज्य २००४ (२) जे०एल०जे०४२५ में माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारायह प्रतिपादित किया

10 <u>आपराधिक प्रकरण कमांक:-1427/2013</u>

गया हैकि पुलिस के गवाहों की साक्ष्य को यांत्रिक तरीके से खारिज करना अच्छी न्यायिक परम्परा नहीं है। ऐसी साक्ष्य की भी सामान्य साक्षी की तरह छानबीन करके उसे विचार में लेना चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर आ०सा०4 एवं साक्षी आरक्षक जितेन्द्र सिंह आ०सा०2 एवं आरक्षक उग्रसेन आ०सा०6 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षीगण के कथनों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थित में उक्त साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता हैं।

- ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर आ०सा०४ जो कि जप्तीकर्ता है ने अपने कथन में ह 24. ाटना दिनांक को ग्राम सौंधा के मोड हाईवे रोड पर आरोपी भारत सिंह एक 315वोर का कटटा एवं एक कारतूस तथा आरोपी हरीओम से एक 315 वोर का जिंदा राउण्ड एवं एक खाली खोखा जप्त करना बताया है। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया हैकि आर्टिकल ए –1 का कटटा एवं आर्टिकल ए-2,ए-3 एवं ए-4 के कारतूस वही कटटा कारतूस है जो उसने आरोपीगण से मौके पर जप्त किये थे। जप्ती पंचनामा प्र0पी02 में भी आरोपी भारत से 315 वोर का कटटा एवं एक कारतूस तथा जप्ती पंचनामा प्र0पी03 में आरोपी हरीओम से 315 वोर का एक जिंदा कारतूस एवं एक खाली खोखा जप्त किये जाने का उल्लेख हैं। इस प्रकार जप्तीकर्ता ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर आ०सा०४ के कथनो की पुष्टि जप्ती पंचनामा प्र०पी०२ एवं प्र०पी०३ से भी हो रही हैं। साक्षी जितेन्द्र सिंह आ०सा०२ एवं उग्रसेन आ०सा०६ ने भी जप्तीकर्ता अशोक सिंह आ०सा०४ के कथन का पूर्णतः समर्थन किया है एवं आरोपी भारत से 315 वोर का कटटा एवं एक कारतूस तथा आरोपी हरीओम से 315 वोर का एक जिंदा कारतूस जप्त किये जाने बाबत कथन किया है। उक्त साक्षीगण के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं। उक्त साक्षीगण के कथनों की पुष्टि जप्ती पंचनामा प्र0पी02 एवं प्र0पी03 से भी हो रही हैं। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के कथनें। पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।
- 25. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया हैकि पुलिस द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा लिये गये बचाव के संबंध में कोई

विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई हैं। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर आ०सा०४ को प्रतिपरीक्षण के दौरान यह सुझाव दिया गया है कि वह आरोपीगण से दूध लेता था एवं दूध के पैसे न देने पड़े इस कारण उसके द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है उक्त सुझाव को साक्षी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। बचाव पक्ष की ओर से लिये गये उक्त सुझाव के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा लिया गया उक्त बचाव स्वीकार योग्य नहीं हैं।

- 26. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि ए०एस०आई अशोक सिंह तोमर आ०सा०४ ने घटना दिनांक को आरोपी भारत से एक 315 वोर का कटटा एवं एक कारतूस तथा आरोपी हरीओम से 315 वोर का एक जिंदा कारतूस एवं एक खोखा जप्त होना बताया है। उक्त साक्षी के कथन का समर्थन जप्ती के साक्षी जितेन्द्र सिंह आ०सा०२ एवं उग्रसेन आ०सा०६ द्वारा भी किया गया है। उक्त साक्षीगण के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षीगण के कथनों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थित में उक्त साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।
- 27. फलतः समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 17/03/13 को 17:30 बजे ग्वालियर भिण्ड हाईवे ग्राम सौंधा मोड पर सार्वजिनक स्थल पर आरोपी भारत ने एक संचालनीय स्थिति वाला आयुध 315 वोर का कटटा एवं एक जिंदा कारतूस तथा आरोपी हरीओम ने 315 वोर का एक जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे। फलतः यह न्यायालय आरोपी भारत एवं हरीओम को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1) (1—बी) (ए) के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध करती हैं।
- 28. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थिगित किया गया। (प्रतिष्टा अवस्थी)

्प्रातष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

पुनश्च-

- 29. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गयाकि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को कम से कम दंड से दंडित किया जावे।
- 30. आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता हैिक अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है,आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण वयस्क व्यक्ति है एवं अपने कृत्य के परिणाम को समझने में सक्षम है आरोपीगण द्वारा वैध अनुज्ञप्ति के बिना आग्नेय आयुध अपने आधिपत्य में रखे गये हैं। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। फलत : यह न्यायालय आरोपी भारत एवं हरीओम में से प्रत्येक को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1) (1—बी) (ए) के अतर्गत एक—एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो —दो हजार रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिकम होने पर दो—दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती हैं।
- 31. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
- 32. प्रकरण में जप्तशुदा 315 वोर का कटटा एवं कारतूस अपील अविध पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला दंडाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।
- 33. आरोपीगण जितनी अविध के लिये न्यायिक निरोध में रहे है उनके संबंध में द०प्र०स० की धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अविध उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी भारत एवं हरीओम प्रकरण में दिनांक 19/03/13 से दिनांक 22/03/13 तक न्यायिक निरोध में रहे हैं।

तद्नुसार सजा वारंट बनाये जावे।

34.

स्थान – गोहद

दिनांक - 12/01/2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर

खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्टा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

